(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी-294-एक/17 विरुद्ध आदेश दिनांक 14.12.2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बासौदा जिला विदिशा प्रकरण क्रमांक 02/अपील/2016-17

नाथूराम आ0 श्री घासीराम
निवासी डिढोली मंदिर के पास बासौदा
जिला विदिशा (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार बासौदा
जिला विदिशा म0प्र0 .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम सिंह ठाकुर
अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं

आदेश

(आज दिनांक 07/03/2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बासौदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 02/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 14.12.16 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार तहसील बासौदा के आदेश दिनांक 31.08.2016 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी बासौदा के समक्ष संहिता की धारा-44 के अंतर्गत एक अपील पेश की गई। जिसमें कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा दिनांक 07.12.2016 को आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत एक आवेदन प्रस्तुत

किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 14.12.2016 द्वारा आवेदक की अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.02.2015 को लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु 10 दिवस का समय चाहा गया था, परंतु आज दिनांक तक उनके द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गए है। अत: प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है।

4. अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तथ्यों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण संहिता की धारा-248 का है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में जांच करने के उपरांत आदेश पारित किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त आवेदन प्रकरण को लंबायमान करने की दृष्टि से प्रस्तुत करना मानते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में प्रथम दृष्टया कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर किया जाना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर